रिपोर्टेबल

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 7160/2013

(एस.एल.पी. (सी) सं. 7781/2011 से उत्पन्न)

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर ..... अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य .....प्रत्यर्थीगण

सेवा कानून: सेवानिवृत्ति लाभ- सी.पी.एफ. योजना और पेंशन योजना- सी.पी.एफ. योजना के लिए कर्मचारी का विलंबित विकल्प नियोक्ता द्वारा स्वीकार किया गया- तदनुसार सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने के बाद, कर्मचारी पेंशन योजना के लाभ का दावा कर रहा है- अभिनिर्धारित किया गया: निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी उसका विकल्प अपीलकर्ता विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार करके प्रत्यर्थी पर विशेष उपकार किया गया था, और इसलिए, उसे इसका अनुचित लाभ उठाने की

अनुमति नहीं दी जा सकती- अधिसूचना संख्या पेंशन/राजएयूआईसी/91/एफ-75/3668-768 दिनांक 17 अगस्त, 1991

निर्णय

अनिल आर. दवे, न्यायाधीश

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1738/2003 दिनांक 20 जनवरी, 2001 में डी.बी. सिविल विशेष अपील (रिट) संख्या 32/2008 में दिए गए निर्णय से व्यथित होकर राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय ने यह अपील दायर की है।

3. संक्षेप में, निम्न कारणों से यह अपील दायर की गई है:

प्रत्यर्थी संख्या 2 अपीलार्थी-विश्वविद्यालय में कार्यरत था। अपीलार्थी-विश्वविद्यालय में नियुक्ति से पहले प्रत्यर्थी संख्या 2 ने पशु चिकित्सा और पशुपालन विभाग राजस्थान राज्य के साथ काम किया था। अपनी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद उसने पूर्ववर्ती मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर में कार्य करना प्रारम्भ किया। इसके बाद उक्त विश्वविद्यालय को विभाजित कर दिया गया और अपीलार्थी-विश्वविद्यालय का गठन किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 2 की सेवा अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय के अंतर्गत आ गई।

4. जिस प्रश्न का निर्णय किया जाना है वह यह है कि क्या प्रत्यर्थी संख्या 2 उसके द्वारा दावा किए गए पेंशन का हकदार है या वह अंशदायी भविष्य निधि योजना (संक्षेप में "सी.पी.एफ. योजना") के तहत सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है।

5. राजस्थान राज्य से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर, प्रत्यर्थी संख्या 2 राजस्थान राज्य को उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में राजस्थान राज्य से पेंशन प्राप्त कर रहा है। अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय में नियुक्त होने के बाद, अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय के पूरे कर्मचारियों के साथ, प्रत्यर्थी संख्या 2 को भी अपना विकल्प देने के लिए कहा गया था कि क्या वह पेंशन योजना का विकल्प चुनना चाहता है या सी.पी.एफ. योजना का विकल्प चुनना चाहता है। अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना संख्या पेंशन/राजएयू/सी/91/एफ-75/3668-768 दिनांक 17 अगस्त, 1991 के तहत विकल्प आमंत्रित किए गए थे। उक्त अधिसूचना में कहा गया था कि जो कर्मचारी 1 जनवरी, 1990 को अपीलार्थी-विश्वविद्यालय में सेवारत थे, उन्हें पेंशन योजना के लिए या मौजूदा सी. पी. एफ. योजना के तहत बने रहने के लिए अधिसूचना की तारीख से 3 महीने के भीतर अपना विकल्प लिखित में देना होगा। अधिसूचना में आगे यह प्रावधान किया गया था कि जो कर्मचारी अधिसूचना की तारीख से 3 महीने के भीतर विकल्प

का चयन नहीं करेंगे, उनके लिए यह माना जाएगा कि उन्होने पेंशन योजना का विकल्प चुना है।

6. दुर्भाग्य से, प्रत्यर्थी संख्या 2 निर्धारित अवधि के भीतर अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय को अपना विकल्प सूचित नहीं कर सका, लेकिन 3 जनवरी, 1992 के अपने पत्र द्वारा, उसने सी.पी.एफ. योजना का विकल्प चुना था। उसने 3 जनवरी, 1992 के अपने पत्र में विशेष रूप से उल्लेख किया कि उसने पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुना। शायद एक विशेष मामले के रूप में, उनके द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प को अपीलार्थी-विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और अपीलार्थी-विश्वविद्यालय के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विकल्प को स्वीकार करने के बाद स्वीकृति को रिकॉर्ड में रखा गया था। इस प्रकार, सी.पी.एफ. योजना के तहत बने रहने के उसके विकल्प को अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।

7. 30 जून, 1997 को प्रत्यर्थी संख्या 2 सेवा से सेवानिवृत्त हुआ और विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार, क्योंकि उसने सी.पी.एफ. योजना का विकल्प चुना था, उसे सी.पी.एफ. योजना के तहत देय सभी सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान किया गया।

8. इसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 2 ने परिवाद किया कि चूंकि उसने अधिसूचना दिनांक 17 अगस्त, 1991 की तारीख से 3 महीने की

निर्धारित अवधि के भीतर उक्त अधिसूचना में शामिल शर्तों के अनुसार अपने विकल्प का प्रयोग नहीं किया था इसलिए यह समझा जाना चाहिए कि उसने पेंशन योजना का विकल्प चुना है और इसलिए, उसे पेंशन योजना के अनुसार पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए।

9. प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा किया गया निवेदन स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय ने उसके द्वारा प्रयोग किए गए सी.पी.एफ योजना के विकल्प को पहले ही स्वीकार कर लिया था।

10. इन परिस्थितियों में, लगभग 6 वर्षों के बाद, प्रतिवादी नंबर 2 ने एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1738/2003 दायर की और इस आशय का निर्देश देने की प्रार्थना की कि अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय उसे पेंशन का भुगतान करे। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय को प्रत्यर्थी संख्या 2 के मामले पर विचार करने का निर्देश देकर याचिका स्वीकार कर ली। उपरोक्त निर्देश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय ने डी.बी. सिविल विशेष अपील (डब्ल्यू) संख्या 32/2008 दायर की थी और उसी समय अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 को सी.पी.एफ. योजना का लाभ देने के संबंध में अपना निर्णय नहीं बदलने का निर्णय लिया गया था।

11. उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आक्षेपित निर्णय के आधार पर, अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय को प्रत्यर्थी संख्या 2 को पेंशन देने का निर्देश

दिया गया था। इस प्रकार, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय को सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के तरीके को बदलने और प्रत्यर्थी संख्या 2 को उस प्रकार पेंशन देने का निर्देश दिया जैसे कि उसने पेंशन योजना का विकल्प चुना हो।

12. अपीलार्थी-विश्वविद्यालय ने उपर्युक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दायर की है।

13. अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जब प्रत्यर्थी संख्या 2 ने पत्र दिनांक 3 जनवरी, 1992 के तहत सी.पी.एफ. योजना का विकल्प चुना था और जब प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा किए गए उक्त निवेदन को अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और जैसा कि प्रत्यर्थी संख्या 2 को देय राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका था, तो अब प्रत्यर्थी संख्या 2 अपना रुख नहीं बदल सकता है और उस प्रकार पेंशन की मांग नहीं कर सकता है जैसे कि उसने पेंशन योजना का विकल्प चुना हो। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि रिट याचिका 5 साल से अधिक समय के बाद दायर की गई थी और वह भी सी.पी.एफ. योजना के तहत उसे देय कुल राशि स्वीकार करने के बाद।

14. विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 को उसकी सेवानिवृत्ति के बाद अपना निर्णय बदलने की अनुमति नहीं दी जा

सकती। उन्होंने हमारा ध्यान प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय के समक्ष विधिवत हस्ताक्षरित और दायर किए गए विकल्प पत्र की ओर आकर्षित किया, जो भले ही नियत तिथि के बाद दाखिल किया गया था, अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। यह प्रत्यर्थी संख्या 2 के प्रति अपीलार्थी-विश्वविद्यालय द्वारा किया गया उपकार था।

15. विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, यह ऐसा मामला नहीं था जहां प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा किसी विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया था। यह सच है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने निर्धारित अवधि के भीतर अपने विकल्प का प्रयोग नहीं किया, लेकिन विकल्प का प्रयोग करने में उनकी देरी को अप्रत्यक्ष रूप से माफ कर दिया गया था और प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दिये गए विकल्प को अपीलार्थी-विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और इसलिए, अधिसूचना में शामिल की गई अभिग्रहीत कल्पना का लाभ प्रत्यर्थी नं. 2 को नहीं मिलेगा, जिससे उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा सके जैसे उसने गलती से पेंशन योजना का विकल्प चुना था।

16. अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि विश्वविद्यालय के पास सीमित धनराशि है और यदि विकल्प के प्रयोग में इस तरह के बदलाव की अनुमति दी जाती है, तो अपीलकर्ता-

विश्वविद्यालय के लिए बड़ी वित्तीय कठिनाई हो जाएगी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उच्च न्यायालय प्रत्यर्थी संख्या 2 के प्रति अनावश्यक रूप से उदार हो गया है। इसलिए उन्होंने निवेदन किया कि अपील की अनुमति दी जानी चाहिए और उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 को पेंशन के भुगतान के संबंध में दिये गए निर्देश को रद्द कर दिया जाए।

17. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जब प्रत्यर्थी संख्या 2 ने 17 अगस्त, 1991 की अधिसूचना में निर्धारित अवधि के भीतर अपने विकल्प का उपयोग नहीं किया था, तो उसके लिए यह माना जाना चाहिए था जैसे कि उसने अधिसूचना में शामिल अभिग्रहीत कल्पना के अनुसार पेंशन योजना का विकल्प चुना हो। अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने परिवाद किया था कि उसने गलती से सीपीएफ योजना का विकल्प चुना था और उसने कई पत्र लिखे थे और इसलिए, वास्तव में, कोई देरी नहीं हुई थी जैसा कि आरोप लगाया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने राजस्थान राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के संबंध में प्रावधानों की तुलना करने का भी प्रयास किया और इस न्यायालय को इस आशय से मनाने का प्रयास किया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पेंशन

दी जानी चाहिए थी कि अन्य विश्वविद्यालयों के समान स्थिति वाले कर्मचारियों को भी पेंशन का भुगतान किया गया था।

18. हमने विद्वान अधिवक्ता को सुना और पेपर बुक का हिस्सा बनने वाले प्रासंगिक रिकॉर्ड पर भी विचार किया है।

19. हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय को अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय को प्रत्यर्थी संख्या 2 को उस प्रकार से पेंशन देने का निर्देश नहीं देना चाहिए था जैसे कि उसने पेंशन योजना का विकल्प चुना हो।

20. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपने विकल्प का प्रयोग निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया था, बल्कि थोड़ा देर से किया था। चाहे देरी से उसने अपना विकल्प चुना हो लेकिन उसने सी.पी.एफ. योजना का विकल्प चुना था।

21. अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय ने प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प को स्वीकार कर लिया और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिसूचना में शामिल अभिग्रहीत कल्पना से प्रत्यर्थी संख्या 2 को मदद मिलेगी। सुविधा के लिए, 17 अगस्त, 1991 की अधिसूचना के प्रासंगिक उद्धरण को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

> "…. इस प्रकार सभी कर्मचारी जो 1.1.1990 को सेवा में थे, उन्हें इन विनियमों के तहत पेंशन योजना में या

मौजूदा सी.पी.एफ योजना के तहत बने रहने के लिए इस प्रावधान की अधिसूचना की तारीख से 3 महीने के भीतर लिखित रूप में अपना विकल्प देना होगा और इसे निर्धारित प्रपत्र में नियंत्रक, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को प्रस्तुत करना होगा। मौजूदा कर्मचारी जो इन विनियमों के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर विकल्प का उपयोग नहीं करते हैं, उनके लिए यह माना जाएगा कि उन्होने पेंशन योजना का विकल्प चुना है। एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा..."

22. हालाँकि, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने उपरोक्त अधिसूचना के तहत निर्धारित अवधि के भीतर अपने विकल्प का प्रयोग नहीं किया, जब उसने सी.पी.एफ. योजना के तहत बने रहने के लिए 3 जनवरी, 1992 को विकल्प का प्रयोग किया था और जब अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय ने प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प को विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर लिया था, इसलिए उसे अधिसूचना में शामिल अभिग्रहीत कल्पना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि प्रत्यर्थी संख्या 2 की दलील स्वीकार कर ली जाती है तो यह विश्वविद्यालय के साथ अन्याय होगा। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी प्रत्यर्थी संख्या 2 के विकल्प को स्वीकार कर उस पर विशेष उपकार किया गया था। अब, इस स्तर

पर, अपनी सेवानिवृत्ति के बाद, प्रत्यर्थी संख्या 2 अपीलकर्ता विश्वविद्यालय द्वारा उसके प्रति किए गए अनुग्रह का अनुचित लाभ उठाना चाहता है, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। यदि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपने विकल्प का प्रयोग नहीं किया होता, तो निश्चित रूप से यह माना जाता कि उसने पेंशन योजना स्वीकार कर ली है, लेकिन चूंकि उसने अपना विकल्प देर से दिया था, जिसे अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय ने विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर लिया था, यह नहीं कहा जा सकता कि प्रत्यर्थी संख्या 2 के लिए यह माना जाना चाहिए कि उसने पेंशन योजना का विकल्प चुना था।

23. अन्य विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों से संबंधित सभी कथन प्रासंगिक नहीं हैं क्योंकि प्रत्येक नियोक्ता विश्वविद्यालय की अपने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के संबंध में अपनी योजना होगी।

24. हम यहां यह भी कह सकते हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 2 एक उच्च साक्षर व्यक्ति है और जब उसने 3 जनवरी, 1992 को अपने विकल्प पत्र के तहत सी.पी.एफ. योजना का विकल्प चुना था, तो उसे इसके परिणामों के बारे में पता होगा। यह उसका सचेत प्रयास था कि वह सीपीएफ योजना में बना रहे और अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय द्वारा विशेष कृपा दिखाकर उक्त प्रयास का सम्मान किया गया, क्योंकि अधिसूचना में

निर्धारित समय समाप्त होने के बाद भी उनके विकल्प को स्वीकार कर लिया गया था।

25. उपरोक्त कारणों से, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय को यह निर्देश देकर त्रुटि की थी कि प्रत्यर्थी संख्या 2 को उस हिसाब से पेंशन दी जानी चाहिए जैसे कि उसने पेंशन योजना का विकल्प चुना था।

26. हर्जे-खर्चे के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील स्वीकार की जाती है।

न्यायाधिपति (अनिल आर. दवे)

न्यायाधिपति (दीपक मिश्रा)

नई दिल्ली

27 अगस्त, 2013

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।